

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर
क्रमांक स्था./एच.ओ/स्थाना.अटैच/प्र.मु.प्र./2020/68875-80

दिनांक 12/1/2021

आदेश

श्री बंशी लाल, प्रहरी नं.5030 उप कारागृह, फलौदी का इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 57262-67 दिनांक 16.12.2020 के द्वारा जिला कारागृह, पाली से केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर पर किया गया अटैचमेन्ट निरस्त करते हुए इनका **शिकायतन** पदस्थापन तुरन्त प्रभाव केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर पर किया जाता है।

म. ली. ज.
(आलोक कुमार वशिष्ठ)
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर
OC# 12/1/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि स्थानान्तरित कार्मिक को अविलम्ब नवपदस्थापन स्थान पर उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त करे तथा कार्मिक की नवपदस्थापन स्थान पर उपस्थिति रिपोर्ट अविलम्ब इस कार्यालय को भिजवाये:-

1. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज जोधपुर, जयपुर।
2. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर, भरतपुर।
3. प्रभाराधिकारी, उप कारागृह, फलौदी।
4. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को वास्ते अपलोड हेतु।
5. संबंधित कर्मचारी को पालनार्थ।
6. रक्षक पत्रावली।

म. ली. ज.
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर
OC# 12/1/21